



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36418

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1115 वर्ष 2024

वीरेन्द्र कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव परिवहन एवं 7 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: बजरंग बहादुर सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संदर्भ: सिविल प्रकीर्ण संशोधन आवेदन संख्या - 11 वर्ष 2026

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान संशोधन आवेदन को वापस लेने की प्रार्थना की गई है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।
3. तदनुसार, संशोधन आवेदन वापस लिए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

संदर्भ: सिविल प्रकीर्ण संशोधन आवेदन संख्या - 12 वर्ष 2026

4. वर्तमान संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 06.02.2026 के आदेश के पैरा 9 में उद्धृत हिंदी अंश की पंक्ति संख्या 4 में अंकित दिनांक "07.03.1999" को हटाकर उसके स्थान पर "07.03.1989" प्रतिस्थापित किए जाने तथा पैरा 11 की पंक्ति संख्या 2 में अंकित दिनांक "21.07.1986" को हटाकर उसके स्थान पर "21.07.2006" प्रतिस्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उक्त संशोधन पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।
6. तदनुसार, संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
7. आवश्यक संशोधन अभिलेख में सम्मिलित किए जाएं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक : 18 फरवरी 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”